प्रेषक,

संख्या– /xxxi(13)G-25 (बी–24)/2014

सी0एम0एस0बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
रिंग रोड़ देहरादून।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून दिनांक 01 ~~अगस्त~~ सितम्बर,2014

विषयः– **उत्तराखण्ड सूचना कार्यालय भवन में दो न्यायालय/कार्यालय कक्ष के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4990/उ0सू0आ0/1–लेखा/2013–2014, दिनांक 25–04–2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय भवन में दो न्यायालय/कार्यालय कक्ष के निर्माण हेतु प्रकियागत कार्यो के लिए (Procedural Works) **₹1.48 लाख (₹एक लाख अड़तालीस हजार मात्र)** की धनराशि के आहरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन आहरण वितरण अधिकारी/सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निर्वतन पर रखते हुए इतनी धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1)कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2)कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(3)कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4)कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल की भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(5)मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(6)यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

(7)कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8)स्वीकृत धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मदों में व्यय कदापि न किया जाए।

(9)निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

क्रमश.....2 / पर

(10) व्यय करते समय बजट मेंनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम एवं अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(11) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि साख–सीमा के माध्यम से आहरित कर उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, देहरादून को नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2015 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त तिथि तक इस धनराशि का पूर्ण उपयोग न करने का मूलरूप से दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था तथा उत्तराखण्ड सूचना आयोग का ही होगा।

(13) धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष,2014–2015 के आय –व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–80–सामान्य–800–अन्य भवन–03 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार/भू–अधिग्रहण प्रतिकर–24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
सचिव।

संख्या– 3036 /xxxi(13)G-25 (बी–24)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड,देहरादून।
2–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6–केन्द्रीय कृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय ,23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
7–प्रमुख लेखाकार, सचिवालय प्रशासन देहरादून।
8–वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
9–निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
उप सचिव।

G.O DOBHAL